जगदीश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या– 12/15/2023
जीसीएमएस– 2023/570
दायर दिनांक– 20/10/2023
निर्णय दिनांक– 31/07/2025

बउनवान

1. श्री रामवती पुत्री किशोरीलाल पत्नि बाबूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी शाहपुर तहसील कठूमर, अलवर।

बनाम

1. जगदीश पुत्र किशोरीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी शाहपुर
2. मुकुट पुत्र किशोरीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी शाहपुर
3. गोविन्द पुत्र बन्नो पोत्र किशोरीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी शाहपुर
4. कल्ला पुत्र बन्नो किशोरीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी शाहपुर
5. सोनल पुत्री बन्नो पोत्री किशोरीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी शाहपुर
6. सपना पुत्री बन्नो पोत्री किशोरीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी शाहपुर
7. सुशील पत्नी बन्नो पुत्र वधू किशोरीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी शाहपुर
8. ग्राम पंचायत बहरामपुर पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर।

...रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 05.05.1982 विरासत इन्तकाल संख्या 205 ग्राम शाहपुर ग्राम पंचायत बहरामपुर कठूमर अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति–1.श्री बलवीर चौधरी, अधिवक्ता अपीलाण्ट
2. श्री राधावल्लभ शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2
3. श्री गिरधारीलाल शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्टस संख्या 1,3 से 6,7

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में अपील के विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 274, 275, 64, 103, 106, 126, 128, 129, 130, 131, वाके ग्राम शाहपुर, ग्राम पंचायत बहरामपुर तहसील कठूमर में स्थित है, जो अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ला0 7 मृतक किशोरीलाल पुत्र चन्द्रभान के विधिक वारिसान है। किशोरीलाल की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। इस भूमि पर किशोरीलाल ता–जिन्दगी मौके पर काबिज रहकर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

काश्त करते रहे है उनके फौत होने पर अपीलण्ट व रेस्पो0 संख्या 1 ला 7 उक्त अराजी पर शामलात में काश्त करते चले आ रहे थे। किशोरीलाल के फौत होने के बाद रेस्पो0 संख्या 1–2 एवं रेस्पो संख्या 3 ला0 7 के पिता एवं पति बन्नो ने रस्पो0 सं0 8 से मिलकर किशोरीलाल का विरासत का इन्तकाल सं0 205 दिनांक 05.05.1982 को रेस्पो0 संख्या 1 जगदीश रेस्पो0 सं0 2 मुकुट एवं रेस्पो0 सं0 3 ला0 7 को उक्त आराजी के कानूनी तकासमें बाबत कहा तथा जमाबन्दी की नकल जारी करवाई तब रेस्पो संख्या 1 ला0 7 ने अपीलाण्ट से कहा कि इस आराजी में तुम्हारा क्या है जो बंटवारा कराना चाहती हो। अपीलाण्ट ने रेस्पो0 संख्या 1 ला0 7 के धमकाने पर अपने पिता किशोरीलाल की विरासत का इन्तकाल संख्या 205 दिनांक 05.05.1982 की दिनांक 06.10.2023 को नकल प्राप्त की उक्त इन्तकाल संख्या 205 व आज्ञा रेस्पो संख्या 8 दिनांक 05.05.1982 से विक्षुब्ध होकर अपील अपीलाण्ट पेश है। रेस्पो0 संख्या 1–2 व 3 ला0 7 के पिता ने रेस्पोडेण्ट संख्या 8 से मिलकर सम्पूर्ण वारिसान के हक में मृतक किशोरीलाल की कृषि भूमि का विरासत इन्तकाल संख्या 205 नहीं खुलवाया। रेस्पो0 सं0 8 ने मृतक किशोरीलाल के सभी वारिसानो की जॉच किये विना ही खिलाफ कानून व खिलाफ मौका इन्तकाल संख्या 205 दिनांक 05.05.1982 को फैसल किया है। इस वजह से तथाकथित इन्तकाल संख्या 205 दिनांक 05.05.1982 प्रारम्भ से ही शुन्य एवं निरस्त किये जाने योग्य है। इन्तकाल संख्या 205 से प्रभावित आराजी अपीलाण्ट एवं रेस्पो0 संख्या 1 ला0 7 के कब्जे में है जिस पर अपीलाण्ट अपने हिस्से पर कब्जे काश्त में है उक्त इन्तकाल रेस्पो0 संख्या 8 ने कब्जे एवं मौके एवं मृतक किशोरीलाल के सभी वारिसान की जॉच किये बिना केवल पुत्रों के हक में इन्तकाल स्वीकार किया है तथा पुत्री अपीलाण्ट का नाम छोड दिया है। रेस्पो संख्या 8 ने मृतक पिता किशोरीलाल के विरासत इन्तकाल में नाम दर्ज नहीं करने में भारी कानूनी भूल की है। इस वजह से उक्त इन्तकाल संख्या 205 व आज्ञा दिनांक 05.05.1982 रेस्पो0 संख्या 8 विधि विरूद्व होने से निरस्त कर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अपीलाण्ट को उक्त दोषपूर्ण इन्तकाल संख्या 205 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 01.10.2023 को पटवारी हल्का के पास से नकल बनवाये जाने के दौरान एवं रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 205 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। ऐसे मामलों में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा देरी में नरमी का रूख अपनाया है। हस्तगत प्रकरण में अपील में देरी के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

प्रकरण में दफा 5 स्वीकार होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या दिनांक 08.01.2024 को 1 ला0 7 हाजिर अदालत आये। एवं दिनांक 28.05.2024 को रेस्पोडेण्ट संख्या 8 वावजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना के उपस्थिति नहीं होने पर उनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई।

उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई तथा पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड अपीलाण्टस रेस्पो0 के जबाव व इंतकाल की सत्य प्रतिलिपी दोषपूर्ण विरासत

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

इन्तकाल का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्टस ने अपनी बहस के दौरान मुख्य रूप से अपनी अपील के तथ्यों को ही दोहराते हुए निवेदन किया कि किशोरीलाल की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। इस भूमि पर किशोरीलाल ता–जिन्दगी मौके पर काबिज रहकर काश्त करते रहे है उनके फौत होने पर अपीलण्ट व रेस्पो0 संख्या 1 ला 7 उक्त अराजी पर शामलात में काश्त करते चले आ रहे थे। किशोरीलाल के फौत होने के वाद रेस्पो0 संख्या 1–2 एवं रेस्पो संख्या 3 ला0 7 के पिता एवं पति बन्नो ने रस्पो0 सं0 8 से मिलकर किशोरीलाल का विरासत का इन्तकाल सं0 205 दिनांक 05.05.1982 को रेस्पो0 संख्या 1 जगदीश रेस्पो0 सं0 2 मुकुट एवं रेस्पो0 सं0 3 ला0 7 को उक्त आराजी के कानूनी तकासमें बाबत कहा तथा जमाबन्दी की नकल जारी करवाई तब रेस्पो संख्या 1 ला0 7 ने अपीलाण्ट से कहा कि इस आराजी में तुम्हारा क्या है जो बंटवारा कराना चाहती हो। अपीलाण्ट ने रेस्पो0 संख्या 1 ला0 7 के धमकाने पर अपने पिता किशोरीलाल की विरासत का इन्तकाल संख्या 205 दिनांक 05.05.1982 की दिनांक 06.10.2023 को नकल प्राप्त की उक्त इन्तकाल संख्या 205 व आज्ञा रेस्पो संख्या 8 दिनांक 05.05.1982 से विक्षुब्ध होकर अपील अपीलाण्ट पेश है। रेस्पो0 संख्या 1–2 व 3 ला0 7 के पिता ने रेस्पोडेण्ट संख्या 8 से मिलकर सम्पूर्ण वारिसान के हक में मृतक किशोरीलाल की कृषि भूमि का विरासत इन्तकाल संख्या 205 नहीं खुलवाया। रेस्पो0 सं0 8 ने मृतक किशोरीलाल के सभी वारिसानो की जॉच किये विना ही खिलाफ कानून व खिलाफ मौका इन्तकाल संख्या 205 दिनांक 05.05.1982 को फैसल किया है। इस वजह से तथाकथित इन्तकाल संख्या 205 दिनांक 05.05.1982 प्रारम्भ से ही शुन्य एवं निरस्त किये जाने योग्य है एवं इन्तकाल संख्या 205 दिनांक 05.05.2025 को निरस्त कर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ला0 7 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दौहराते हूऐ निवेदन किया की मृतक किशोरीलाल के विरासत इंतकाल संख्या 205 दिनांक 05.05.1982 की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 05.05.1982 से ही है जो करीब 50–55 साल से अपनी सुसराल गांव सुण्डाना तहसील नदबई रह रही है दिनांक 01.10.2023 को अपीलाण्ट ने उक्त इंतकाल से प्रभावित आराजी के तकासमा वाबत कभी नहीं कहा ना कभी जमाबन्दी की नकल निकलबाई ना अपीलाण्ट का इंतकाल से प्रभावित आराजी पर कभी कब्जा रहा और ना अब है विवादित इंतकाल दोषपूर्ण ना होकर रेस्पोडेण्ट संख्या 8 द्वारा विधि पूर्वक तस्दीक किया हुआ है जिसे अपीलाण्ट को देरी दिनांक 05.05.1982 से

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

अब तक की 42 साल की अवधि को कण्डोन किये जाने का उचित कारण नहीं बताया है एवं अपील अपीलाण्ट ने विवादित इंतकाल की शुरू से ही जानकारी रखते हुये मियाद बाहर पेश की है जिसे अन्दर मियाद शुमार किये जाने का कोई उचित कारण अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है इसलिये प्रार्थना पत्र अपील खारिज किये जाने योग्य है।

हमने अपीलाण्ट अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा एवं अपीलाण्ट को जानकारी दोषपूर्ण इन्तकाल की जानकारी पटवारी हल्का से नकल प्राप्त होने के बाद होना साबित है एवं रेस्पोडेण्टस संख्या 1 ला 7 के अधिवक्ताओं द्वारा अपीलाण्ट को मृतक किशोरीलाल की पुत्री होना एवं अपीलाण्ट का बाहर रहना स्वीकार किया गया है रेस्पोडेण्टस की स्वीकार होने के कारण इन्तकाल संख्या 205 दिनांक 05.05.1982 को बिना वारिसानो के जॉच किये बिना विधि विरूद्व तरीके से होने के कारण निरस्त किये जाना योग्य साबित है अपीलाण्ट अपील को साबित करने में सफल रहे है। अपील अपीलाण्ट साबित होने कारण स्वीकार किये जाने योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलाण्ट अधिवक्ता बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व दस्तावेजात के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

–::आदेश::–

अतः अपीलाण्ट अधिवक्ता बहस, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत बहरामपुर द्वारा स्वीकृत इंतकाल संख्या 205 दिनांक 05.05.1982 वाके ग्राम शाहपुरा ग्राम पंचायत बहरामपुर को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार कठूमर को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर